


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-06-25	पञ्चावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप- श्रीमत् 500 सा P.D.A.S.P. Camp के जज मिसल वास्ते दिनांक 27-06-25 को पेश हो	
27-06-25	पञ्चावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप- अधिवक्ता वादी की वलत सुनी जाकर पञ्चावली का अपलोकाग किया गया वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में छुड़फ अली के स्थान पर खुसुफ खान करवाना चाहता है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खेत खसरा नम्बर 166 रोही ग्राम शालासर में वादी का नाम खुसुफ अली है जबकि दस्तावेज आधार कार्ड, मतपत्र पंथान पर, क्रमिक कार्ड, राशन कार्ड आदि के वादी का नाम खुसुफ खान है। वादी की भोत ले गजट नोटिफिकेशन (राजस्थान राज-पत्र साधारण) जिल्द 77 ज्येठ 22 गुरुवार, शाके 1947-पून 12, 2025 अंक 11 में खुसुफ खान की कोत से स्थान किया गया है अविषय में भुसे खुसुफ अली के स्थान पर खुसुफ खान के नाम से जाना जाये वर्तमान नाम के खुसुफ अली, खुसुफ खान व खुसुफ खान है अविषय में भुसे खुसुफ खान नाम से पहचाना जाये। दस्तावेज व राजस्व रिकॉर्ड का नाम अलग-अलग होने से वादी को परेशानी आनी समय है	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>उक्त विवेचन के आधार पर दवा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत हुषि ग्राम रोही ग्राम राणासर खेत खसरा नम्बर 166 के राजस्व रिकॉर्ड जमावदी के वादी का नाम सुसुन अली के स्थान पर सुसुन खान किये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी द्वारा किसी प्रकार का तथ्य दिखाया गया है तो वह स्वयं जिम्मेवार होगा। तथा राजकीय वकाया के पूर्व के वादी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा।</p> <p>निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27.01.25 को हुआ गया।</p> <p>प्रभावतः तहसीलदार किसी आपालक का स्थान वही होने पर उक्त उक्त राजस्व अभिलेख में अमल दर्ज करे। परापली को लम्बे शुका होकर दाखिल रजतक व</p>	